

0

0



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

शैक्षिक / 44 /2022 दिनांक ०८ | ०५ | २०२८

अधिसूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य अंग्रेजी व अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के बी०ए० पाठ्यकम के अध्यादेश के बिन्दु संख्या 3 के उप बिन्दु संख्या (F) में निम्न व्यवस्था वर्णित है:-

"Every Candidate for B.A. Degree shall further be required of offer, an additional Compulsory course in Language (either Hindi Language or General English or General Sanskrit.)"

अध्यादेश में उल्लिखित General English के कारण उत्पन्न भ्रम की स्थिति के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसकी आख्या निम्नवत् है:-

"There is no difference whatsoever between the term General English (as used in the Ordinance) and English Language as generally understood by various examining bodies. In terms of course content and focus. General English and English Language are one and the same. It was also decided that steps be taken to incorporate the said fact in the Ordinance to avoid confusion at any point in the future."

समिति की उक्त संस्तुति को कुलपति जी द्वारा विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः अध्यादेश के बिन्दु संख्या 3 के उप बिन्दु संख्या (F) में समिति की संस्तुति के अनुसार General English and English Language are one and the same संशोधित माना जाय।

कुलमीचेव 518

दिनांकः ०५-०५ -२०२२

संख्याःशैक्षिक/1075/22

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

- 1. परीक्षा नियंत्रक।
- 2. वित्त अधिकारी।
- 3. सहायक कुलसचिव(गोपनीय/परीक्षा)।
- 4. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 5. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
- ऐजेन्सी 2021–22 को उक्त अधिसूचना वैबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

सहायक कुलसचिव(शैक्षिक)